

कमांक / 3738 / एसएस / 2025

प्रति,

संचालक चिकित्सा शिक्षा
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
सतपूडा भवन - भोपाल ।

इंदौर, दिनांक 21/07/25

विषय:- एम.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेशित अर्थ्यार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले ग्रामीण सेवा तथा सीट लीविंग बाण्ड के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 900 / पी.जी. / 4 / संचिशि / 2025 भोपाल, दिनांक 10.07.2025 ।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के अंतर्गत लेख है कि, Inspector General of Registration and Superintendent of Stamps Madhya Pradesh द्वारा सम्पदा - 2 के माध्यम से ई स्टाम्प किये जाने हेतु ओ.टी.पी.की प्रविष्टि ई-स्टाम्प की आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार चिकित्सक को अधिकृत किया जाता है :-

डॉ. अशोक कुमार पनिका
लेक्चरर
आर्थोडोंशिया विभाग
मो.- 8800402840


प्राचार्य

दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर

Principal, दिनांक

College of Dentistry, Indore

Government of Madhya Pradesh.

कमांक / --- / एसएस / 2025

प्रतिलिपि:-

1. डॉ. पुनीत गुप्ता, रीडर एवं नोडल अधिकारी नीट कॉउंसिलिंग स्थानीय महाविद्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, उक्त जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर चरप्पा करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।
2. डॉ. अशोक कुमार पनिका, लेक्चरर आर्थोडोंशिया विभाग स्थानीय महाविद्यालय की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

11
प्राचार्य

दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर

कार्यालय आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : dmc12001@yahoo.com

वेबसाइट: www.medicaleducation.mp.gov.in

कमांक 900/पीजी/4/संचिशि/2025
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/07/2025

अधिष्ठाता/प्राचार्य,

1. शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महा. वि. इंदौर।

निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय

1-पीपुल्स कालेज ऑफ डेंटल साइन्सेस, भोपाल।

2-श्री अरविन्दों इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइन्सेस, इंदौर

3-पीपुल्स डेंटल अकादमी, भोपाल।

4-हितकारिणी डेंटल कालेज, जबलपुर।

5-महाराणा प्रताप कालेज ऑफ डेन्टिस्ट्री, ग्वालियर।

6-रिशिराज डेंटल कालेज, भोपाल।

7-आर.के.डी.एफ. डेंटल कालेज, भोपाल।

8-कालेज ऑफ डेंटल साइन्स, राउ इंदौर।

9-भाभा डेंटल कॉलेज, भोपाल।

10-मानसरोवर डेंटल कालेज, भोपाल।

11-इण्डेक्स डेंटल कॉलेज, इंदौर

12-माडर्न डेंटल कॉलेज, इंदौर।

विषय:- एम.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले ग्रामीण सेवा तथा सीट लीविंग बाण्ड के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि **Inspector General of Registration and Superintendent of Stamps Madhya Pradesh** द्वारा सम्मदा-2 के माध्यम से ई-स्टाम्प जारी किये जाने हेतु दोनों पक्षों (प्रवेशित छात्र एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा/अधिष्ठाता) को भेजे गये ओ.टी. पी. की प्रविष्टि उपरांत ही ई-स्टाम्प जारी होगा। इस संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय स्तर पर किसी अधिकारी को अधिकृत करते हुए उसका नाम, पद एवं मोबाइल नम्बर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाये तथा उसे कॉलेज की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाये। साथ ही प्रवेश के समय छात्र को अधिकृत अधिकारी की डिटेल्स दी जाये। इस हेतु समयावधि प्रातः 10.00 बजे से 6.00 बजे रखी जाये। अतः की गई कार्यवाही से तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10/07/2025

पृ0कमांक /4/पीजी/संचिशि/2025

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश